



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा-846004

353

अभिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2024 का कार्यवृत्त

समय:- 10:30 बजे पूर्वाह्न

स्थान - कुलपति आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष।

उपस्थिति:-

| | | |
|--|---|---------|
| 1. प्रो० संजय कुमार चौधरी, कुलपति | — | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी | — | सदस्य |
| 3. प्रो० अजय नाथ झा | — | सदस्य |
| 4. प्रो० विजय कुमार यादव | — | सदस्य |
| 5. डॉ० श्याम चन्द्र गुप्ता, प्रधानाचार्य | — | सदस्य |
| 6. प्रो० विजय मिश्रा, प्रधानाचार्य | — | सदस्य |
| 7. प्रो० अशोक कुमार मेहता | — | सदस्य |
| 8. प्रो० शाहिद हसन, विभागाध्यक्ष | — | सदस्य |
| 9. डॉ० नौशाद आलम, विभागाध्यक्ष | — | सदस्य |
| 10. डॉ० अमर कुमार | — | सदस्य |
| 11. श्रीमती मीना कुमारी | — | सदस्य |
| 12. श्री सुजीत पासवान | — | सदस्य |
| 13. डॉ० हरिनारायण सिंह | — | सदस्य |
| 14. डॉ० धनेश्वर प्रसाद सिंह | — | सदस्य |
| 15. डॉ० अजय कुमार पंडित, कुलसचिव | — | सचिव |

माननीय अध्यक्ष महोदय को कुलसचिव द्वारा गणापूर्ति की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी गई। अनुमति प्राप्ति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। सर्वप्रथम डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने समस्त अभिषद्, अन्य निकाय के साथ मिथिला की ओर से विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में चार जिलों के वर्षों से लम्बित शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। तदुपरान्त कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्वागत करते हुए बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की।

निम्नांकित मदों पर विचार किया जाय:-

- मद सं० 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 15.07.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय: सर्वसम्मति से, अभिषद् की गत बैठक दिनांक 15.07.2024 की कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।
- मद सं० 2. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 15.07.2024 के अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।
निर्णय: सर्वसम्मति से, अभिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2024 के अनुपालन-प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।

मद सं0 3. शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अस्थायी रूप से वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार देने की निर्गत अधिसूचना के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत चार जिलों यथा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में अवस्थित अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय वर्गीय कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24.07.2024 को निर्गत विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञापांक C/DR-I/13490-501/24 दिनांक 24.07.2024, विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञापांक C/DR-I/13502-13/24 दिनांक 24.07.2024, ज्ञापांक C/DR-I/13514-25/24 दिनांक 24.07.2024, ज्ञापांक C/DR-I/13526-37/24 दिनांक 24.07.2024, ज्ञापांक C/DR-I/13538-49/24 दिनांक 24.07.2024, ज्ञापांक C/DR-I/13550-61/24 दिनांक 24.07.2024, ज्ञापांक C/DR-I/13562-73/24 दिनांक 24.07.2024 ज्ञापांक C/DR-I/13574-85/24 दिनांक 24.07.2024 एवं C/DR-I/13586-97/24 दिनांक 24.07.2024 में वर्णित शर्तों के आधार पर अस्थायी रूप से वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के उच्चतर प्रभार दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया गया तदुपरांत उच्चतर प्रभार के तकनीकी पक्षों के संबंध में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्ति के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने की सर्वसम्मति से सहमति बनी।

अति0 मद सं0 01. डॉ0 मीना प्रसाद प्रधानाचार्य, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के निलम्बन अवधि की कुल अनुपस्थिति 309 दिनों में से 05 दिनों का आकस्मिक अवकाश, 157 दिनों का चिकित्सा अवकाश एवं 147 दिनों का अर्जित अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय: डॉ0 मीना प्रसाद प्रधानाचार्य, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के निलम्बन अवधि की कुल अनुपस्थिति 309 दिनों में से 05 दिनों का आकस्मिक अवकाश, 157 दिनों का चिकित्सा अवकाश एवं 147 दिनों का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

अति0 मद सं0 02. श्री अविनाश कुमार सिंह निम्न वर्गीय लिपिक एम0के0 कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा द्वारा दिनांक 01.04.2017 से 02.11.2023 (6 वर्ष 07 महीना 02 दिन) तक चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय: अभिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2024 के मद सं0 13 में उल्लेखित निर्णय जो श्री अविनाश कुमार सिंह, निम्न वर्गीय लिपिक, एम0के0 कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा के 6 वर्ष 07 माह 02 दिन (अर्थात 01.04.2017 से 02.11.2023) के चिकित्सावकाश में रहने के कारण असाधारण अवैतनिक अवकाश के स्वीकृति के संबंधित मामले की जाँच हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। जिसमें निम्नांकित सदस्य नामित किए गए—

1. अध्यक्ष छात्र कल्याण
2. कुलानुशासक

— सदस्य
— सदस्य

अन्यान्य मद सं० 01 श्रीमती मीना झा ने प्रस्ताव किया कि श्री विनय कुमार झा एवं अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में सेवा सामंजन पर विचार।।

निर्णय: सर्वसम्मति से मामले के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ विमर्श कर समस्या के समाधान किये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

अन्यान्य मद सं० 02 अभिषद् सदस्य श्री सुजीत कुमार पासवान ने प्रस्ताव किया कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय के वैसे शिक्षक/कर्मचारी जिसका विश्वविद्यालय से वेतन के निर्धारण के पश्चात बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग को भेजा गया था यदि वहाँ से वेतन सत्यापन पत्र आ गया हो तो उनके बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाए।

निर्णय: अभिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2024 के मद सं० 14 में लिए गए निर्णय के अनुपालनार्थ माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्यान्य मद सं० 03 दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के नामांकन एवं संचालन से सम्बन्धित समस्याओं पर एक बैठक आयोजन पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, बैठक आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मद सं० 04 विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में नियमित पेंशन अदालत आयोजन किए जाने पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं० 05 डॉ० अशोक कुमार मेहता द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुकंपा समिति की बैठक आयोजन पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से अनुकंपा समिति की बैठक अगस्त/सितम्बर 2024 में कराए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मद सं० 06 डॉ० अमर कुमार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अतिथि शिक्षक के पदस्थापन में सामान्यता रखे जाने पर विचार।

निर्णय: माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति महोदय द्वारा अतिथि शिक्षकों के पदस्थापन में सामान्यता किए जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्यान्य मद सं० 07 डॉ० बैद्यनाथ चौधरी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव शिक्षकों की लम्बित प्रोन्नति किए जाने, मिल्लत महाविद्यालय दरभंगा के 7 संविदा कर्मी के मानदेय भुगतान, बाबू साहेब झा एवं श्री कृष्ण भगवान चौधरी, एम०एल०एस०एम० महाविद्यालय दरभंगा के लम्बित भुगतान एवं डॉ० बैद्यनाथ चौधरी सहित अन्य के लम्बित भुगतान पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से, प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्यान्य मद सं० 08 डॉ० हरि नारायण सिंह द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव स्नातक नामांकन की प्रक्रिया में छात्रों की सुविधा सुनिश्चित होने पर विचार।

निर्णयः

सर्वसम्मति से, प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

बैठक के अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तदुपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डॉ० अजय कुमार पंडित)
कुलसचिव-सह-सचिव

(प्रो० संजय कुमार चौधरी)
कुलपति-सह-अध्यक्ष



दिनांक:- 25.07.2024

ज्ञापांक:- UB-777/24

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल०ना० मिथिलाविश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना;
5. सभी पदाधिकारी, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिलाविश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


25/07/2024
कुलसचिव

25/07/2024